BANK OF RAJASTHAN RETTERED STAFF ASSOCIATION

President's Office :
C-V, 401, Kamal Apartments II,
Opp. Jaipur Metal & Electricals,
Bani Park, Jaipur–302 016
Tel, : 207123, 202278

General Sec's Office
B-97, Anandpuri,
Moti Doongri Road,
Jaipur–302 004
Tel. : 600329

परिपत्र संख्या 2/2000 दिनांक 25-12-2000

प्रिय साथियों।

हमारे परिपत्र संख्या 13/1/2000 दिनांक 1-8-2000 के माध्यम से हमने ऐसोसियेशन की पहली वार्षिक सभा के सम्पन्न होने एवं नयी कार्यकारिणी के चुनाव के बारे में आपको सूचित किया था।

वार्षिक सभा के निर्णय के अनुसार चूँकि अजमेर जिले में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक हो गई थी अतः अजमेर को एसोसियेशन के चेप्टर का दर्जा दे दिया गया है तथा श्री रामकिशन गर्ग, ब्यावर को अजमेर चेप्टर के प्रतिनिधि के रूप में कार्यकारिणि में सदस्य मनोनित करलिया गया है। भीलवाड़ा में भी 10 से अधिक सदस्य हो गये हैं अतः भीलवाड़ा भी एसोसियेशन के चेप्पटर के रूप में जुड़ गया है। श्री भंवरसिंह राठौड़ पहले से ही कार्यकारीणि में भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे है। दोनों ही स्थानो पर शीघ्र ही वहां के सदस्यों की एक मिटिंग बुलाकर चेप्टर के अध्यक्ष एवं सचिव का निर्वाचन किया जाएगा ताकि चेप्टर अपना कार्य प्रारंभ कर सके।

बैंक के प्रबंध संचालक को एसोसियेशन ने अपने पत्र दिनांक 5-9-2000 के माध्यम से बेंक के रिटायर्ड स्टाफ को जयपुर में ठहरने के लिए बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, नये विधान सभा के पास, लालकोठी स्कीम, जयपुर में एक कमरा अलोट करने के लिए आवेदन किया था जिसको बैंक ने स्वीकार कर लिया है। अतः सदस्यगण 20) रु प्रतिदिन से भुगतान कर कालेज के प्रिंसिपल से अनुमति लेकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। बहुत से मामलों में रिटायर होने वाले स्टाफ को ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नकदी करण तथा पी. एफ. आदि का भुगतान बहुत देरी से हो रहा था अतः एसोसियेशन के आग्रह पर प्रबंधक वर्ग ने संबधित विभागों को यह आदेश जारी कर दिये हैं कि यथा संभव इनका भुगतान संबधित कर्मचारी को रिटायर होने के दिन को ही कर दिया जाए। इसी प्रकार कम्युटेशन का भुगतान भी यथा संभव एक सप्ताह के अन्दर कर दिया जाएगा। बैंक के पेंशन विभाग के प्रबंधक महोदय ने भी यह आश्वासन दिया है कि यथा संभव पेंशन हर पेंशनर के खाते में महिने की पहली तारीख को जमा हो जाया करेगी।

एसोसियेशन ने अपने पत्र दिनांक 5-9-2000 के द्वारा बैंक के अधिकांश रिटायर्ड स्टाफ को कम्युटेशन तथा बकाया पेंशन का भुगतान बहुत देरी से (अगस्त सितम्बर 99) करने के कारण हुई आर्थिक हानि के क्षतिपूर्ति के रूप में ब्याज का

भुगतान करने केलिए बहुत ठोस तर्क देकर बैंक को लिखा था परन्तु बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14-9-2000 के द्वारा हमारी न्याय संगत मांग को यह कह कर अस्वीकार कर दिया है कि कम्युटेशन एवं पेंशन के देरी से हुए भुगतान पर ब्याज देने का कोई प्रावधान बैंक के पेंशन रूल्स में नहीं है । एसोसियेशन ने पुनः अपने पत्र दिनांक 14-11-2000 के माध्यम से इस विषय में विभिन्न कोर्ट्स के निर्णयों का हवाला देकर हमारी न्यायोचित मांग पर पुनः विचार करने के लिए बैंक के प्रबंध संचालक को लिखा है । एसोसियेशन ने उनको यह भी लिखा है कि यदि वे इस विषय में अनुकूल निर्णय लेकर संबंधित रिटायर्ड स्टाफ को ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं तो एसोसियेशन के संबधित सदस्यगण राजस्थान हाईकोर्ट में आवश्यक वाद प्रस्तुत कर अपनी न्यायोचित मांग के लिए बैंक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे । बैंक के प्रबंधकवर्ग का रिटायर्ड स्टाफ के प्रति बहुत ही निराशाजनक दृष्टिकोण को देखते हुए एसा नहीं लगता है कि बैंक बिना न्यायालय की मध्यस्थता के हमारी न्यायोचित मांग को स्वीकार करलेगा ।

साथीयों, हमारी यह मांग बहुत न्यायपूर्ण तथा उचित हैं । इससे लगभग 150 सदस्य प्रभावित हो रहे हैं जिनको कुल लगभग एक करोड़ रुपया बैंक की तरफ से ब्याज के रूप में भुगतान होना चाहिए जिसको कि बैंक टाल रहा है । एसोसियेशन इस मामले में अत्यंत गंभीर है तथा सदस्यों को उनका बकाया मिले इसके लिए हर कार्यवाही करने के लिए तैयार है । हमारे कानूनी सलाहकारों ने हमें आश्वस्त किया है कि यदि संबंधित प्रभावित सदस्य गण न्यायालय का सहारा लेगे तो उनको देरी से हुए भुगतान पर ब्याज का भुगतान बैंक को न्यायालय के निर्णय के द्वारा अवश्य करना पड़ेगा । एसोसियेशन ने यह निर्णय लिया है कि यदि बैंक का रवैया इस संबंध में अनुकूल नहीं रहता है तो एसोसियेशन के संबंधित प्रभावित सदस्य राजस्थान हाई-कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करने की कार्यवाही करें । इस संबंध में आवश्यक रिट तैयार करने के लिए सभी संबंधित सदस्यों से आग्रह है कि वे तुरंत ही **दिनांक 7 जनवरी 2001** तक निम्न विवरण एवं डोकुमेंट्स की फोटो काफी एसोसियेशन को भेज देवें ।

विवरण

नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, जन्म तारीख, बैंक से रिटायर होने की तारीख, कम्युटेशन की रकम एवं पेंशन के एरियर की रकम एवं उसके भुगतान की तारीख

डोकुमेंटस

(1) Pension scheme—Tentative calculation of Pension from 1-4-95 to 31-12-96 of employees retired after 31-3-95. (C. O letter dt 19th Aug 1997)

(2) Ist letter of release of Pension

(3) Pension Scheme—Payment of arrears of Pension, Commutation of Pension and family Pension–Sulbimission of form 10E. (C. O. letter dt 8-3-99)

(4) Final letter from central office regarding Payment of arrears of Pension, Commutation of Pension givingf calculation and tnterest recovered on P. F and net payment.

कृपया इस विषय को बहुत ही URGENT मानकर आवश्यक सूचना एवं डोकुमेंटस तुरंत भेजने का कष्ट करें ।

एसोसियेशन ने बैंक प्रबंधकों को रिटायर्ड स्टाफ की अन्य समस्याओं जैसे फेमेली पशन के देर से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार कर निपटारा करना, 1-1-1986 के पहले रिटायर हुए स्टाफ को 1-1-97 से एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान, मेडिकल खर्चों का भुगतान, रियायती ब्याज दरों पर हाउसिंग, एन. एस. सी, वाहन, गोल्ड तथा कन्जूमर साधनों के क्रय पर ऋण सुविधा देना पेंशनरों को आइडेन्टीटी कार्ड जारी करना तथा अन्य कई सुविधाएं जो दूसरे बैंकों के रिटायर्ड स्टाफ को प्राप्त है को इस बैंक के रिटायर्ड स्टाफ को देने के लिए भी लिखा है परन्तु बैंक के प्रबंधक वर्ग ने हमारे द्वारा वर्णित किसी भी समस्या पर विचार कर उसके निवारण में कोई रुचि नहीं दिखाई है । एसोसियेशन के पदाधिकारी शीघ्र ही बैंक के मेनेजिंग डायरेक्टर से मिलकर इन समस्याओं के निवारण हेतु उचित निर्णय लेने का आग्रह करेगा ।

1 अप्रेल 1998 एवं उसके बाद रिटायर होने वाले साथियों के लिए आवश्यक सूचना

जैसा कि आपको विदित है कि बैंकों में इन्डस्ट्री लेवल पर बैंक कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के रिविजन पर समझौता हो गया है जो कि 1 अप्रेल 1998 को कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू हो गया है । अतः 1-4-1998 एवं उसके बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को रिवाइज्ड वेतनमान दिये गये हैं तथा आवश्यक एरियर का भुगतान भी बैंक द्वारा किया जा रहा है । इसी प्रकार **1–11–99** के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को उनके उपार्जित अवकाश के नकदी करण तथा ग्रैच्युटी के अन्तर का भी बैंक द्वारा भुगतान किया जा रहा है । यदि संबंधित कर्मचारियों को एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है तो वे तुरंत संबंधित शाखा प्रबंधक से सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

ऐसे सभी साथी जो 1-4-1998 के बाद रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन का रिविजन भी नये वेतन मान के अनुसार बैंक द्वारा शीघ्र किया जा रहा है तथा साथ में कम्युटेशन के अन्तर का भुगतान (प्रत्येक केश में लगभग 35 हजार से 55 हजार रु. तक होने का अनुमान है) भी बैंक द्वारा शीघ्र किया जा रहा है। इस संबंध में बैंक द्वारा संबंधित साथियों को पत्र द्वारा सूचित किया जा रहा है तथा साथ में उन्हे यह भी कहा जा रहा है कि यदि वे पेंशन पुराने वेतन मान से ही लेना चाहते है तो अपना Option बैंक के संबंधित शाखा व्यवस्थापक को दे देवे।

इस संबंध में सभी संबंधित साथियों से निवेदन है कि वे पुराने वेतन मान से पेंशन लेने के लिए OPTION नहीं देवे। चूंकि मूल पेंशन नये वेतन मान से अधिक होगी तथा सभी लाभ जैसे डी. ए. आदि मूल पेंशन से लिक्ड है अतः भविष्य के लिए नये वेतन मान के अनुसार रिवाइज्ड पेंशन ही उनके लिए लाभप्रद रहेगी। साथी लोग इस भ्रम में नहीं रहे कि नयी पेंशन में नेट पेंशन की राशि पुरानी पेंशन की नेट पेंशन से वर्तमान में थोड़ी कम मिलेगी परन्तु इसकी कुछ क्षति पूर्ति उनको मिलने वाली कम्यूटेशन की अतिरिक्त राशि से होगी। अतः उन्हे किसी तरह से option देना लाभ दायक नहीं रहेगा।

फेमेली पेंशन के मामलों में सभी को फेमेली पेंशन वर्तमान में मिलने वाली पुराने वेतन मान के अनुसार ही मिलती रहेगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जो 1-4-98 के बाद रिटायर हुए हैं परन्तु जिनकी मृत्यु ओप्सन देने के पहले ही हो गयी है उनके परिवार वालों को रिवाइज्ड फैमेली पेंशन मिल जाएगी।

एसोसियेशन की सदस्य संख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है। सभी साथियों से निवेदन है कि वे ऐसे सभी रिटायर्ड साथियों को एसोसियेशन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें जो अभी तक इसके सदस्य नहीं बने है। जिन साथियों में पुराना शुल्क बाकी है कृपया वे आजीवन सदस्य बनकर शुल्क भेजने का कष्ट करें। इस संबंध में उन्हे अलग से पत्र भी लिखा जा चुका है।

नये वर्ष के अवसर पर हम सब आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं तथा ईश्वर से कामना करते हैं कि नया वर्ष आप एवं आपके परिवार के लिए अतिलाभदायक तथा मंगल मय हो।

शुभकामनाओं के साथ

एस. एल. माहेश्वरी
महामंत्री

डी. एस. रावत
अध्यक्ष